न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2387–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–6–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया प्रकरण कमांक 36/अ–6/2013–14.

भाईजी आत्मज हिम्मत सिंह गूजर
निवासी ग्राम जमाड़ा
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

रामस्वरूप आत्मज डोंगर सिंह गूजर
निवासी ग्राम जमाड़ा
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री एम.एल. पाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री इरफान खान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम जमाड़ा तहसील पिपरिया की संशोधन पंजी वर्ष 1978 में संशोधन कमांक 104 दिनांक 5–5–78 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 8–8–14 को अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 36/अ–6/2013–14 दर्ज कर दिनांक 2–6–2015 को आदेश पारित कर प्रथम अपील 37 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किये जाने एवं विलम्ब का कारण समाधान कारक नहीं होने से अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील में यह आधार लिया गया था कि आवेदक काफी समय पूर्व साधु संत बनकर गांव से बाहर चला गया था, और जुलाई 2014 में जब वह अपने ग्राम आया, तब, उसे पता चला कि आवेदक के बड़े भाई घासीराम आत्मज हिम्मत सिंह गूजर की लाऔलाद मृत्यु होने के बाद उसके बड़े भाई घासीराम के स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक घासीराम के वारिसान आवेदक के स्थान पर अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया है, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूल की गई है ।

(2) आवेदक के बड़े भाई घासीराम लाऔलाद फौत हुए थे, और आवेदक की उसका एकमात्र वारिस था, फिर भी आवेदक को बगैर सूचना दिये राजस्व निरीक्षक द्वारा संशोधन पंजी पर बादामी लाल और चंदनसिंह के फर्जी हस्ताक्षर बनाये जाकर अनावेदक का नामांतरण किया गया है, जबकि उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा संशोधन पंजी पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ।

(3) संशोधन पंजी पर पारित आदेश की जानकारी आवेदक को जुलाई 2014 में होने पर उसके द्वारा दिनांक 9–7–2014 को संशोधन पंजी की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया, और दिनांक 10–7–2014 को संशोधन पंजी की नकल प्राप्त होने पर जानकारी के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की गई थी । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र समय–सीमा में मान्य करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में अवैधानिकता की गई है ।

(4) संशोधन पंजी के कॉलम नं. 7 में घासीराम फौत वारिस भाईजी एवं रेनका बाई विधवा हिम्मतसिंह लिख हुआ है । रेनका बाई आवेदक की भाईजी की मां है, जो अब मृत हो चुकी है । इसके बाद कुछ शब्दों को काटकर अनावेदक रामस्वरूप वल्द डोंगरसिंह लिखकर प्रमाणित माना है, जो कि अवैधानिक है ।

(5) अनावेदक रामस्वरूप द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का जवाब मनगढंत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि अनावेदक द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसका अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र से कोई वास्ता नहीं है । इसी प्रकार अनावेदक द्वारा

जवाब अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है ।

(6) अनावेदक द्वारा रिनंबरिंग पर्चा एवं वर्ष 1951–52, 1953–54 की फोटोप्रति प्रस्तुत कर यह बताने का प्रयास किया गया है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक के पिता डोंगरसिंह की थी, जबकि खसरा के कॉलम नं. 5 में डोंगरसिंह का नाम सिकमी कास्तकार के रूप में दर्ज है, इसलिए सिकमी कास्तकार भूमिस्वामी नहीं हो सकता ।

(7) अनावेदक द्वारा ग्राम पंचायत जमाड़ा के पूर्व सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक भाईजी को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, और आवेदक भाईजी यहीं पर निवास कर रहे हैं । इस संबंध में आवेदक द्वारा भी वर्तमान सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत जमाड़ा के सरपंच द्वारा आवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक भाईजी आत्मज हिम्मत सिंह गूजर ग्राम जमाड़ा, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद के निवासी हैं । ये काफी समय पूर्व साधु संत बनकर बाहर चले गये थे । माह जुलाई 2014 से आवेदक भाईजी गूजर अब अपने ग्राम में ही निवास करने लगे हैं । वर्ष 2013 में 2–3 बार जमाड़ा आये थे, तब उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन का फार्म भरा था, और नवम्बर–दिसम्बर, 2013 में वृद्धावस्था पेंशन चालू हुई है, और आवेदक भाईजी द्वारा जुलाई 2014 में संशोधन की नकल निकलवाने के बाद नामांतरण की जानकारी होना बतलाई गई है । अतः सरपंच ग्राम पंचायत के उपरोक्त प्रमाण पत्र से स्पष्ट है आवेदक द्वारा विलम्ब का जो कारण दर्शाया गया है, वह समाधान कारक आधार है, जिस पर बिना विचार किये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम प्रकृति का आदेश है, जिसके विरूद्ध आयुक्त/अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से अत्यधिक विलम्ब से

अपील प्रस्तुत की गई थी, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2014 (4) एम.पी.एल.जे. 476, 2014 (3) एम.पी.एल.जे. 265, 2012 (III) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट नम्बर 87, 2013 (III) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट नम्बर 69 2015 (I) एम.पी.एल.जे. 307 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखत तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामान्तरण पंजी को देखने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी में काट–छांट की गई है और आवेदक का भी नाम जोड़ने का उल्लेख है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को चाहिए था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य कर गुण–दोष पर निराकरण करते, परन्तु उनके द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–6–2015 निरस्त किया जाता है एवं उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य कर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर